समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

–: आदेश :–

02-08-2013

आवेदक **श्री शरद प्रवाल,** पिता–स्व0 रविन्द्र नाथ मिश्रा, सा0–दादर मंडी (बी0), नीम की भट्टी, विश्वकर्मा मंदिर लेन, गुलजारबाग, थाना–आलमगंज, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–303/2012 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि–19.07.2013 निर्धारित की गई लेकिन आवेदक के द्वारा दिनांक–26.07.2013 को अभ्यावेदन के माध्यम से सूचित किया गया कि उन्हें सूचना दिनांक–20.07.2013 को प्राप्त हुई थी। सुनवाई की दूसरी तिथि–02.08.2013 निर्धारित की गई। आवेदक को नोटिस का तामिला दिनांक–01.08.2013 को कराया गया लेकिन आवेदक उपस्थित नहीं हुए और उनके द्वारा दिनांक–02.08.2013 को अभ्यावेदन के माध्यम से उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक–02.01.2013 को पारित आदेश के आलोक में स्वतंत्र रूप से उनकी अनुपस्थिति में निर्णय लेने का अनुरोध किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C. No.-23840/2012 में दिनांक–02.01.2013 को पारित आदेश का अंश निम्नवत है:–

"Learned counsel for the state submits that the application may be disposed with directions to the licencing authority to decide his arms application in accordance with law preferably within a maximum period of two months from the date of receipt/ production of a copy of this order. The application is disposed."

आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर इस कार्यालय के पत्रांक–2350/श0, दिनांक–12.09.2012 से वॉछित पुलिस प्रतिवेदन वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–868/गो0, दिनांक–05.06.2013 से दिनांक–07.06.2013 को प्राप्त हुआ जिसके बाद आवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई का अवसर उक्त वर्णित तिथियों को दिया गया लेकिन आवेदक के द्वारा उनकी अनुपस्थिति में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अनुरोध किया गया।

अभिलेख पर उपलब्ध आवेदक के आवेदन, प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन एवं अन्य कागजातों का परिशीलन किया गया। पाया गया कि आवेदक उप निबंधन कार्यालय, पटना सिटी में कातिब (Deed writer) हैं और उनके द्वारा एक एन0पी0बोर पिस्टल की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–868/गो0, दिनांक–05.06.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पटना सिटी के द्वारा भी थानाध्यक्ष, आलमगंज के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मात्र अग्रसारित किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पटनासिटी के द्वारा आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने की न तो कोई अनुशंसा की गयी है और न ही आवेदक के जान–माल के भय/खतरा के बिन्दु पर कोई मंतव्य समर्पित किया गया है। थानाध्यक्ष, आलमगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक

दस्तावेज लेखक (कातिब) हैं। आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। साथ ही थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर कुछ भी प्रतिवेदित नहीं करने के बावजूद आवेदक को अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अग्रसारित किया गया है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

आवेदक के द्वारा समर्पित दिनांक–26.07.2013 एवं 02.08.2013 के अभ्यावेदन का भी अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा भी अपने आवेदन में अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय अथवा खतरा के संबंध में कुछ भी अंकित नहीं किया गया है। सुनवाई के क्रम में उनको अपना पक्ष रखने का अवसर दिए जाने के बावजूद वे उपस्थित नहीं हुए और उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में स्वतंत्र रूप से उनकी अनुपस्थिति में उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहॉ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहॉ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन एवं सुनवाई का अवसर दिए जाने के बावजूद उनकी अनुपस्थिति एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री शरद प्रवाल, पिता–स्व0 रविन्द्र नाथ मिश्रा, सा0–दादर मंडी (बी0), नीम की भट्टी, विश्वकर्मा मंदिर लेन, गुलजारबाग, थाना–आलमगंज, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।